

सं0-1-40014/09/प्रो.यो./2018/ रा.भा. - 108

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

खंड-2, केंद्रीय कार्यालय परिसर,

लोधी रोड़, नई दिल्ली -03

दिनांक - 25/3/21

कार्यालय जापन

**विषय : अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन दिए जाने तथा सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूलरूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं वर्ष 2020-21 ।**

कृपया गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 29.3.2019 के पत्र सं. 20014/01/2016 के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन दिए जाने तथा सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने की प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में सूचित किया गया है कि उपर्युक्त योजनाएं अनवरत रूप से प्रतिवर्ष चलाई जाती हैं एवं प्रत्येक वर्ष की तरह यह योजनाएं राजभाषा विभाग द्वारा नए आदेश आने तक लागू रहेंगी।

2. अतः अनुरोध है कि बल के सभी कार्यालय/ फॉरमेशन वर्ष 2020-21 के दौरान उपर्युक्त दोनों प्रोत्साहन योजनाओं को अपने- अपने कार्यालयों में स्वतंत्र रूप से लागू करें और पुरस्कारों की स्वीकृति एवं भुगतान भी स्वयं करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई से महानिदेशालय को भी अवगत कराएं।

उप महानिरीक्षक(शिक्षा एवं कल्याण)  
महानिदेशालय, भा.ति.सी. पुलिस

1. समस्त फ्रंटियर/प्रशिक्षण परिक्षेत्र, भा.ति.सी. पुलिस को इस आशय के साथ कि इसे अपने नियंत्रणाधीन समस्त क्षेत्रीय मुख्यालयों/वाहिनियों/प्रशिक्षण केंद्रों को आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित करें।
2. आधार चिकित्सालय दिल्ली/ कंपोजिट हॉस्पिटल/केंद्रीय अभिलेख कार्यालय, भा.ति.सी.पुलिस बल।
3. सेनानी(आई.टी सेल), महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल को इस आशय से कि इसे भा.ति.सी.पु. की वेबसाइट में उपलब्ध राजभाषा फोल्डर में अपलोड करवाएं।

प्रतिलिपि:-

समस्त अधिकारियों के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक व समस्त अनुभाग/शाखा प्रभारी महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल को इस आशय से कि उक्त योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक अधिकारी व कर्मचारी अपने अभिलेख दिनांक 15.4.2021 तक राजभाषा अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

हैलम सुनिश्चित EDP  
SPCS  
R

उप महानिरीक्षक(शिक्षा एवं कल्याण)  
दिनांक/Date: 30/3/21

उप महानिरीक्षक(शिक्षा एवं कल्याण)  
महानिदेशालय, भा.ति.सी. पुलिस